# फर्द अहकाम

(नियम 15)

## अज अदालत –उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| श्रीमति भंवरीदेवी पुत्री लादुराम पत्नी भुण्डाराम जाति मेघवाल निवासी शेखावास तह० मारवाड़ | | लादुराम उर्फ लादाराम पुत्र रामलाल उर्फ रामाराम वगैरा जाति मेघवाल तह० सोजत |

किस्म मुकदमाः– राजस्व विविध प्रा० पत्र अन्तार्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट. 1955 मु०न०..3/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ। |
|---|---|---|
| 08/01/2025 | अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।<br>अधिवक्ता प्रार्थीया श्री देवेन्द्र व्यास ने राजस्व प्रा. पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर. टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया है। अधिवक्ता प्रार्थीया ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से बहस एकपक्षीय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया है कि सरहद मौजा गुड़ा कलां तह० सोजत के खसरा नंबर 700, 712, 734, 735, 745 कुल खसरा 05 कुल रकबा 4.6900 हैक्टर की कृषि भूमि है। उक्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक पुश्तैनी है, जिसमें प्रार्थीया का जन्म से हक हिस्सा निहित हो चुका है, लेकिन अप्रार्थी सं0 02 व 03 ने प्रार्थीया के हिस्से को हड़पने की नियत से पुश्तैनी भूमि का अपने पक्ष में बक्शीशनामा व बेचान दस्तावेज पंजीयन करवा दिया तथा राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवा दिया तथा अप्रार्थी सं0 02 द्वारा विधि विरूद्ध इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी सं0 4 को विक्रय कर दिया, जिसका अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था, जिसके आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थीया के पुश्तैनी हक हिस्से का बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये अन्यत्र बेचान, हस्तान्तरण करने पर उतारू हैं। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल होते है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। वस्तुतः प्रकरण में प्रथम दृष्टया पुश्तैनी व पैतृक होना प्रतीत होता है। लिहाजा सरहद मौजा गुड़ा कलां तह0 सोजत के खसरा नंबर 700, 712, 734, 735, 745 कुल खसरा 05 कुल रकबा 4.6900 हैक्टर की कृषि भूमि के मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा बेचान, हस्तान्तरण करने से अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जबाव प्रार्थना पत्र/आगामी आदेश तक रोका जाता है। अधिवक्ता प्रार्थीया धारा 39 नियम 03 की पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली आयंदा दिनांक 06/02/25 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी, सोजत<br>सोजत (राज.) | |
| 6/2/25 | अधि. प्रार्थीया उप.।<br>अधि. प्रार्थीया मय प्रार्थीया स्वयं उपस्थित होकर प्रा.पत्र वापस विड्रोल किये जाने का निवेदन किया। लिहाजा अधि. प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रा.पत्र वापिस विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>SDO SOJAT | R.T.I. भंवरी देवी<br>पहिचानकर्ता |